

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लि बनाम मालीराम व अन्य

प्रकरण संख्या : 96/2022 (धारा 14 सिविल रिट आर्डिनेंस एक्ट)

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा का विस्तृत रूप | विशेष विवरण |
|---------------------------|---|---|
| 29.03.2022 | <p>प्रार्थी वित्तीय संस्था-बैंक ने सरफेशी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्थान-बैंक के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है। न्यायहित में अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 19.04.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित हैं। वकील प्रार्थी ने पत्रावली को आगे नहीं चलाने का कथन करते हुये नोट प्रेस किया है। अतः वकील प्रार्थी के नोट प्रेस किए जाने से धारा 14 लटकेवा एक्ट के अन्तर्गत इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: center;">जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p> | <p>Not Press Handled 19/04/22</p> |

19-4-22